कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
<u>सतपुड़ा भवन, पॉचवीं मंजिल, भोपाल</u>

क्रमांक 462 /आउशि/निका/गोप.प्रको./08 भोपाल, दिनांक 6-12-2008

प्रति

समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।

समस्त प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

विषयः– वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी वेतनमान में स्थानन की कार्यवाही हेतु आवेदन प्रेषित करने बाबत् ।

उच्च शिक्षा संचालनालय में बड़ी संख्या में प्राध्यापक वरिष्ठ /प्रवर श्रेणी वेतनमान में स्थानन की कार्यवाही हेतु आवेदन लेकर उपस्थित होते हैं जिससे जहां एक ओर कार्यालय का समय खराब होता है तथा उनका स्वयं का कार्य भी लम्बित होता है वहीं दूसरी ओर उन्हें भोपाल आने जाने में अनावश्यक खर्चा करना पड़ता है ।

इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर विभाग के पत्र क्रमांक 350/निका/आउशि/08 दिनांक 22–10–08 एवं 651/निका/आउशि/08 दिनांक 2–12–08 को एक प्रारुप भेजकर समस्त प्राचार्यों को यह निर्देशित किया गया था कि वे अपने–अपने महाविद्यालय के प्रत्येक प्राध्यापक से निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्राप्त कर उसे प्रमाणित कर भेजें । इससे जहां एक ओर समस्त प्राध्यापकों को समय पर स्थानन का लाभ प्राप्त हो सकेगा वहीं दूसरी ओर उन्हें अनावश्यक भोपाल आने जाने के खर्चे से भी मुक्ति मिलेगी । इस सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए 15 दिसंबर 2008 का दिन निर्धारित किया गया है ।

विभिन्न कारणों से संचालनालय में आने वाले प्राध्यापकों से चर्चा करने पर यह ज्ञात हुआ है कि उक्त स्थानन आदेश अतिरिक्त संचालक एवं प्राचार्य तक ही सीमित है और इससे नीचे प्रत्येक प्राध्यापक तक नहीं पहुँचाया गया है ।

इसलिए यह निर्देशित किया जाता है कि क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक अपने प्रभार के जिलों के अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यो के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानन के प्रकरणों का प्रेषण करने की अन्तिम तिथि 15–12–2008 है और यदि किसी प्राध्यापक का स्थानन लम्बित है तो वह निर्धारित प्रारुप में प्राचार्य से प्रमाणित करवाकर आवश्यक जानकारी सहित संचालनालय को अतिरिक्त संचालक के माध्यम से भेज दें ।

उ.अ.

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक इस समस्त कार्य के लिए जिम्मेदार होंगे और यदि भविष्य में 15–12–08 के पूर्व का कोई प्रकरण लम्बित पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में स्थानन करने के पूर्व क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक से स्पष्टीकरण लेकर उन्हें दण्डित करने के पश्चात् ही स्थानन की प्रकिया प्रारम्भ होगी ।

आगामी वर्ष से जो प्राध्यापक स्थानन के योग्य होते हैं उनके आवेदन पत्र इसी प्रारुप में समस्त आवश्यक दस्तावेजों को प्रमाणित कर क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक के माध्यम से भेजने की जिम्मेदारी महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी ।

प्राध्यापकों की सीनियारिटी लिस्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है । अतः अब यह परेशानी नहीं होगी जाहिर है कि किन प्राध्यापकों के प्रकरण स्थानन के लिए आगे बढ़ाना है । प्रकरण भेजने के साथ ही प्राचार्य एवं क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उसका परीक्षण कर अपना अभिमत भी प्रकरण पर अंकित करेंगे कि प्रकरण स्थानन के योग्य है अथवा नहीं ? जिन प्राचार्यो ने पूर्व में इस वर्ष के अक्टूबर एवं नवम्बर माह में प्राप्त आवेदन पत्र पूर्ण करके अभिप्रमाणित दस्तावेजों के साथ भेज दिये हैं उन्हें पुनः आवेदन भेजने की आवश्यकता नहीं है ।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कृपया वांछित जानकारी ई–मेल **manoj.agnihotri@mp.gov.in** पर प्रेषित करने का कष्ट करें।